जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0–09/2024–25

सरकार

बनाम्

हुसैन अंसारी

–: आदेश :–

दिनांक 30/10/24

अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–419/डी0सी0बी0 दिनांक–19.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने पोड़ैयाहाट थाना के अपराधकर्मी हुसैन अंसारी, पिता–अब्दूल रज्जाक अंसारी, सा0–बांसमुण्डी, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी हुसैन अंसारी, पिता–अब्दूल रज्जाक अंसारी, सा0–बांसमुण्डी, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, जिनका मुख्य कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों का भयादोहन करना, अपराध करना एवं लोगों को डराना धमकाना है, जिसका उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के प्रस्ताव में किया गया है।

आपराधिक इतिहास :–

1. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–14/20 दिनांक–19.03.20 धारा–392 भा0द0वि0।
2. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–34/20 दिनांक–22.03.2020 धारा–25 (1–बी), 26/35 आर्म्स एक्ट।
3. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–93/19 दिनांक–26.06.19 धारा–341/348/ 354/323/384/379/504/506 भा0द0वि0।
4. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–115/2016 दिनांक–16.09.2016 धारा–392 भा0द0वि0।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए उक्त असामाजिक तत्व हुसैन अंसारी, पिता–

अब्दूल रज्जाक अंसारी, सा0–वांसमुण्डी, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा को लोक हित में निगरानी रखने हेतु थाना हाजिरी किया जाना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है। जिस कारण झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(वी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। इससे स्पष्ट होता है विपक्षी को कुछ नहीं कहना है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत में इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि हुसैन अंसारी, पिता–अब्दूल रज्जाक अंसारी, सा0–वांसमुण्डी, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा एक अपराधकर्मी है। विपक्षी के विरूद्ध पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–14/20 दिनांक–19.03.20 धारा–392 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–34/20 दिनांक–22.03.2020 धारा–25 (1–वी), 26/35 आर्म्स एक्ट, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–93/19 दिनांक–26.06.19 धारा–341/348/354/323/384/379/504/506 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–115/2016 दिनांक–16.09.2016 धारा–392 भा0द0वि0 दर्ज है। विपक्षी के जेल से बाहर रहने से लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं एवं इनके द्वारा शांति भंग भी की जा सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेन संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(3)(वी)(i) के प्रावधानों के तहत हुसैन अंसारी, पिता–अब्दूल रज्जाक अंसारी, सा0–वांसमुण्डी, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश की तिथि से दिनांक–30.01.2025 तक (दिनांक–20.11.2024 मतदान की तिथि को छोड़कर) लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुवह – 07 वजे से 09 वजे के वीच

शाम – 04 वजे से 06 वजे के वीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) श्री विपीन कुमार यादव, थाना प्रभारी, पोड़ैयाहाट,

मो0 नं0–9431134783 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, पोड़ैयाहाट को आदेश दिया जाता है कि वे हुसैन अंसारी को प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार दिनांक–30.01.2025 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, पोड़ैयाहाट को देंगे तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

188
01/11/24

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 12:31:55 +05:30
Location: 192.168.1.9